

न्यायालय :- उप समाहर्ता भूमि सुधार गढ़वा ।

P.N. 41 -
21-2-18

आदेश

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर सिलिंग वाद सं0- 06/2012-13	आदेश पर की गई कार्रवाई															
1	2	3															
30.10.17	<p>आवेदक मोजीबुइदीन खाँ पिता- स्व0 क्यामुइदीन खाँ वो सम्मा बानो पति मोजीबुइदीन खाँ दोनो ग्रम- पिपरा, थाना- गढ़वा के द्वारा भू-हदबन्दी अधिनियम की धारा 16(3) के प्रवधानो के तहत ग्राम- पिपरा के</p> <table border="1" data-bbox="446 560 989 739"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98</td> <td>314</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>313</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>156</td> <td>684</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td colspan="2">कुल-</td> <td>0.38</td> </tr> </tbody> </table> <p>भूमि पर L.C वाद दायर किया गया है अंचलाधिकारी डंडई के द्वारा दिये गए जाँच रिपोर्ट में वर्णित है कि (प्रथम पक्ष) मोजीबुइदीन खाँ पिता- स्व0 क्यामुइदीन खाँ (विपक्षी) गुलशन आरा के पति नजिबुइदीन खाँ दोनो सगे भाई है।</p> <p>दिनांक- 09.10.2017 को उभय पक्ष के द्वारा उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा गया आवेदक मोजीबुइदीन खाँ पिता- स्व0 क्यामुइदीन खाँ के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया की उनके द्वारा 20.04.2017 को ही लिखित रूप से दिया गया है कि वे वाद में लड़ना नहीं चाहते है। तथा आवेदक वाद को वापस लेने के लिए तैयार है।</p> <p>आवेदक के द्वारा दिये गए लिखित तथा स्वयं उपस्थित होकर वाद वापस लेने हेतू की गई अनुरोध के आलोक में वाद को खारिज किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>[Signature]</i> 30.10.17 उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा।</p> <p><i>[Signature]</i> 30.10.17 उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा।</p>	खाता	प्लॉट	रकबा	98	314	0.10	96	313	0.09	156	684	0.19	कुल-		0.38	
खाता	प्लॉट	रकबा															
98	314	0.10															
96	313	0.09															
156	684	0.19															
कुल-		0.38															